



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 2013/माघ 19, 1934

No. 316]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2013/MAGHA 19, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2013

का.आ. 340(अ).—यतः मैं. बंगाल शापुर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो पश्चिम बंगाल राज्य में एक निजी संगठन है, ने बिधाननगर टाउनशिप दुर्गापुर, जिला बर्दमान, पश्चिम बंगाल राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 9 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 422(अ), द्वारा 10.12 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और, यतः मैं. बंगाल शापुर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण 10.12 हेक्टेयर क्षेत्र को अनाधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने दिनांक 27 सितम्बर, 2012 को उपर्युक्त क्षेत्र को अनाधिसूचित किए जाने हेतु अनुमोदित पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उन सभी बातों को छोड़कर जो उपरोक्त सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करती है ऐसे निरसन के पूर्व की गई हैं या किए जाने से निवारित की गई हैं।

[फा. सं. एफ. 1/48/2008-ईपीजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2013

S.O. 340(E).—Whereas, M/s. Bengal Shapoorji Infrastructure Development Private Limited had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT/ITES sector at Bidhannagar Township Durgapur District Burdwan, West Bengal;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 10.12 hectares *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 422(E), dated 9th February, 2009, as Special Economic Zone;

And, Whereas, M/s. Bengal Shapoorji Infrastructure Development Private Limited has proposed to denotify the entire area of 10.12 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for denotification of above area on 27th September, 2012;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 1/48/2008-EPZ]

RAJEEVARORA, Jt. Secy.